



क्रमांक:- 1

- लाट संख्या:-
- 1- 1/021421
 - 2- 1/021731
 - 3- 1/021741
 - 4- 1/021751
 - 5- 1/021761
 - 6- 1/021771
 - 7- 1/021781
 - 8- 1/021791
 - 9- 1/021801
 - 10- 1/021811
 - ✓ 11- 1/021821
 - 12- 1/021831
 - 13- 1/021861
 - 14- 1/021871
 - 15- 1/021881
 - 16- 1/021891
 - 17- 1/021931
 - 18- 1/021941
 - 19- 1/021971
 - 20- 1/021991
 - 21- 1/0211021
 - 22- 1/0211पार्ट-131

न्यायालय विशेषाधिकारी
आवासन विभाग
जयपुर

विषय:- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ
आवासीय कॉलोनी बनाने हेतु अदाप्ति के अधीन भूमि
का आंशिक अदाई योजना मानसरोवर-प्रथम की उपरोक्त
दादों की कुल भूमि 425 बीघा 02 बिस्वा ।

पीठासीन अधिकारी:-

प्रकारानु:-

- 1- श्री जी०एम०एम०, विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज०, जयपुर ।
सत्यमेव जयते:
2- भूमि के सम्बन्धित कानून, जयपुर ।
गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर जरिये मंत्री ।
3- राजस्थान आवासन मण्डल जरिये श्री एन०के०सेठी, सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, एवं श्री जे०के० सिंघी, एडवोकेट ।

1- राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् आवासीय कॉलोनी ग्राम झालानाचौड़, देवरी, मानपुर उर्फ गोल्यावास जिला जयपुर की 2570 बीघा 15 बिस्वा भूमि अवाप्ति करने के आदेश राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 जिसे आगे अधिनियम शब्द से सम्बोधित किया जायेगा, की धारा 4 के अन्तर्गत दिये गये जिसकी अधिसूचना क्रमांक: प०७१७२१नविआ/११/८१ दिनांक १२-१-८२ को जारी की गई, जो राजस्थान राजपत्र में दिनांक १३-१-८२ को प्रकाशित की गई है ।

2- तत्पश्चात् राज्य सरकार ने भूमि को अवाप्ति की अतिआवश्यकता को ध्यान में रखते हुये राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की धारा 17 की उपधारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में धारा 9 "ती" उपधारा 11 में उल्लेखित नोटिस प्रकाशित हो जाने की तिथि से 15 दिवस की समाप्ति पर उपरोक्त विज्ञप्ति में उल्लेखित भूमि का कब्जा लेने हेतु विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को विज्ञप्ति क्रमांक: प०७१७२१नविआ/११/८१ दिनांक 9-2-82 को राजस्थान राजपत्र में भाग 1 ख में दिनांक 9-2-82 को प्रकाशित हुई, के द्वारा अधिकृत किया ।

3- धारा 17 4 की अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात् नियमानुसार सम्बन्धित भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु अधिनियम की धारा 9 1 के नोटिस दिनांक 5-5-82 को जारी किया गया। उक्त नोटिस जारी होने के 15 दिवस के पश्चात् भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की गयी ।

4- उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् सम्बन्धित खातेदारों को अधिनियम की धारा 9131 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जायेगा जिसमें सम्बन्धित खसरा नम्बरों की भूमि का क्लेम प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया है।

5- वर्तमान में उपरोक्त में से निम्नलिखित भूमि का अर्वाह दिया जा रहा है। अर्वाह दिये जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं. वाद संख्या नाम खातेदार खसरा नं. रकबा बीघा बिस्वा

1- 1/02142 श्री रामसिंह पुत्र गोवर्धनसिंह 1 40 - 00
ग्राम झालानाचौड ।

2- 1/02173 श्री देवनारायण पुत्र हरदेव 321 3 - 10
330 7 - 03

11 - 01

3- 1/02174 श्री सुखा पुत्र मुन्ना 322 3 - 17
ग्राम देवरी । 340 8 - 00

11 - 17

4- 1/02175 श्री नाथू पुत्र तालू ग्रामदेवरी 323 12 - 07

5- 1/02176 श्री रघुनाथ पुत्र विरदा 1/2 324 12 - 08
रामनारायण पुत्र रघुनाथ ग्राम देवरी ।

6- 1/02177 श्री लादू पुत्र प्रताप 1/2, सोहन 326 11 - 00
पाँच्या, छोदू, भगवानसहाय पुत्र हरदत्त, प्रभू पुत्र चौधू ना. ला. तरक्षक नैना देवा चौधू ग्राम देवरी ।

7- 1/02178 श्री विरदा पुत्र पेमा ग्रामदेवरी 331 11 - 15

8- 1/02179 श्री किशनलाल पुत्र राममाल 1/3 332 23 - 10
लादूराम पुत्र किशनलाल ग्रामदेवरी

विशेष अधिकारी
नदीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

1-	2-	3-	4-	5-	6-
9-	1/021001	बूँथा पुत्र रामलाल 1/3, गोकुल पुत्र बूँथा 1/3 भूरा पुत्र बूँथा 1/3 ग्राम देवरी ।	333	26	05
10-	1/021011	श्री नारायण, लोदू पुत्र सुखा ग्राम देवरी ।	335	22	07
11-	1/021021	श्री किशोर, रामू, लाला, लोदू, पुत्र मूलका, ग्राम देवरी ।	337	11	10
12-	1/021031	चौधु पुत्र भुलाना ग्राम देवरी ।	336	11	00
13-	1/021061	सत्यनारायण, दीपचन्द, कमल- प्रसाद पि० भैरु, दामोदर पुत्र भैरु ग्राम देवरी ।	349	20	10
14-	1/021071	भौरिया पुत्र गणेश 1/2, प्रभुदयाल पुत्र पन्नालाल 1/2, ग्राम देवरी ।	350	20	13
15-	1/021081	श्री लालू पुत्र नाथू 1/2, भौरिया पुत्र नानगा 1/2, ग्राम देवरी ।	353	21	07
16-	1/021091	गोपी पुत्र नाथू ग्राम देवरी	355	22	01
17-	1/021931	भागचन्द, प्रताप पुत्र बूँथा ग्राम देवरी ।	367	18	18
18-	1/021941	श्री मोती, लक्ष्मण पुत्र रामदेव सूरजू देवा रामदेव, हि. 1/2, चुन्नीलाल, मंगल पुत्र धन्ना ग्राम देवरी ।	368	21	10
19-	1/021971	श्री लादू, किशना, आनन्दा पुत्र भूरा, ग्राम देवरी ।	374	12	05
20-	1/021991	श्री गोपाल पुत्र विरदा ग्राम देवरी	379	0	08

---:544



1-	2-	3-	5-	6-
21-	1/8211021 श्री रामनारायण चौधरी देवरी उर्फ गोल्यावास ।	रामपुर, 351/429	12 - 00	
		352/424	3 - 00	
		371/427	1 - 00	
		353/428	1 - 09	
		370/426	1 - 12	
			19 - 01	

नोट:- खसरा नं०-353/428 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा तथा खसरा नं०-370/426 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है ।

22- 1/821111 पार्ट-131 - ग्राम सुखालपुरा :-

अ-	श्री कजोड, मंगलचन्द विरदीचन्द	212/1	6 - 04
	बुढराम, रामचन्द्र, मोहन पुत्र	213/1	9 - 06
	भगता ।		
ब-	मोहरू पुत्र चन्दा	212/2	7 - 11
		213/2	8 - 09
स-	रामू पुत्र रंगनाथ, गणेश पुत्र	218/1	4 - 04
	नाथी देवा वक्ता, घीसी पुत्री	218/2	20 - 05
	वक्ता ।		

नोट:- स्थगन आदेशों के कारण इन खसरा नम्बरों का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है ।

5- इन सभी मामलों में विशेष बात यह है कि इन सभी मामलों में न्यायालय के स्थगन आदेश मानते हुये मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही रुकी हुई थी। साह सितम्बर, 1988 में सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा इस न्यायालय को पत्र लिखकर सूचित किया गया कि इन मामलों में स्थगन -

---:88:---
-आदेश नहीं है। तथा कार्यवाही अतिरिक्त प्रारम्भ की जाकर मामलों को निष्पत्तिशील निरूपित किया जाये। उक्त पत्र प्राप्त होने पर उपरोक्त सभी पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर एवं सुना जाकर मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही की गयी।

6- उपरोक्त भूमि राजस्थान रिकार्ड में तो उपरोक्त खातेदारों के नाम अंकित है किन्तु न्यू पिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लि० जयपुर द्वारा इस न्यायालय के सम्मुख सम्बन्धित खातेदारों के अधिपत्र व अनुबन्ध पत्र आदि प्रस्तुत किये गये जिनमें सम्बन्धित खातेदारों के द्वारा यह निवेदन किया गया है कि यह भूमि उनके द्वारा समिति को विक्रय कर दी गयी है। आगे समस्त भूमि कार्यवाही हेतु समिति को पूर्ण अधिकार है। अतः इस आधार पर इन मामलों में समिति को इन्ड्रेस्टेड पर्सन माना गया एवं उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। केवल वाद संख्या: 1/82/87 व 1/82/11 पार्ट-13 व 1/82/80/1/3 भाग में समिति द्वारा प्रस्तुत पत्रादि अपूर्ण होने के कारण खातेदारों के हक में कार्यवाही की जाती है।

7- उपरोक्त सुनवाई के दौरान समिति द्वारा अपने क्लेम पेश किये गये जो पत्रावलियों में संलग्न है, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा क्लेमों का जवाब पेश किया गया तथा भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर्स आदि के तकमीने पेश किये गये जो सम्बन्धित पत्रावलियों में संलग्न है।

8- भूरे द्वारा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा वह सुनी गयी। तत्पश्चात् मौका मुआवजा भी किया गया। यह भूमि राजस्थान आवासन मण्डल मानसरोवर-प्रथम योजना से सम्बन्धित है इस योजना की अन्य कई मामलों में भूमि के अवार्ड जारी किये जा चुके हैं जिनमें राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान किया जा चुका है। मैं वर्तमान मामलों में भी पूर्व में दी गयी दर को ही उचित मानता हूँ। अतः वर्तमान मामलों में भी अतिरिक्त भूमि की दर पूर्व की यानि 19,000/- रुपये प्रतिवीघा, सिंचित भूमि की दर रुपये-20,000/- रुपये प्रतिवीघा तथा रोड़ के किनारे स्थित भूमि का रुपये-1000/- प्रतिवीघा अतिरिक्त दिया जाना न्यायोचित मानता हूँ।

-----:7:-----
अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर भूमि के मुआवजे को निधारित
निम्न प्रकार किया जाता है:-



1- वाद संख्या:-1/021421:-

1- कुल भूमि रकबा 40वीघा का मुआवजा रुपये-20,000/-
प्रतिवीघा की दर से रुपये-

8,40,000.00

2- कूँ, पेड़, बोरिंग, पक्का निर्माण का

तकमीना राज0आ0मण्डल के अनुसार: 1,68,824.85

10,08,824.85

3- 30% सोलेक्षियम की राशि रुपये- 3,02,647.44.

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना
राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

2- वाद संख्या:-1/021731:-

1- कुल भूमि रकबा 11वीघा01विस्वा का मुआवजा रुपये-

19,000/-प्रतिवीघा की दर से रुपये- 2,09,950.00

2- डोला, पेड़ आदि का तकमीना राज0आ0म0 के
अनुसार रुपये-

1,841.52

2,11,791.52

3- 30% सोलेक्षियम की राशि रुपये- 63,537.46

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना
राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

3- वाद संख्या:-1/021741

1- कुल भूमि रकबा 11वीघा 17विस्वा का मुआवजा

रुपये-20,000/-प्रतिवीघा की दर से रुपये- 2,37,000.00

2- डोले, पेड़, एसीपाईप, झोपडी आदि का तकमीना

राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रुपये- 7,412.20

2,44,412.20

क्रमशः-8-

---:1:0:---



3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 73,323.66

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

4- वाद संख्या:- 1/021751:-

1- कुल भूमि रकबा 12वीं घा 07 बिस्वा का मुआवजा रुपये-

20,000/- प्रतिघा की दर से रुपये-

2,47,000.00

2- कूँ, पेड, डोले, झौपडी आदि का तकमीना

राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रु.

30,364.90

2,77,364.90

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 83,209.47

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

5- वाद संख्या:- 1/021761:-

1- कुल भूमि रकबा 12वीं घा 08 बिस्वा का मुआवजा

रुपये 19,000/- प्रतिघा की दर से रुपये-

2,35,600.00

2- डोला, पेड आदि का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल

के अनुसार रुपये-

1,937.50

2,37,537.50

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 71,261.25

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

6- वाद संख्या:- 1/021771:-

1- कुल भूमि रकबा 11वीं घा का मुआवजा रुपये- 19,000/-

प्रतिघा की दर से रुपये-

2,09,000.00

क्रमशः-9--

---:9:---



2- डोले, पेड़, आदि का तकमीना राजस्थान
के अनुसार रुपये-

2,11,015.20

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 63,544.56

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

7- वाद संख्या:- 1/021701:-

1- कुल भूमि रकबा 11वीं घा 15विस्वा का मुआवजा रुपये-

19,000/-प्रतिवीं घा की दर से रुपये-

2,23,250.00

2- डोले, पेड़ आदि का तकमीना राजस्थान

आवासन मण्डल के अनुसार रुपये-

1,357.50

2,24,607.50

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 67,382.25

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

8- वाद संख्या:- 1/021791:-

1- कुल भूमि 23वीं घा 10विस्वा का मुआवजा रुपये-20,000/-

प्रतिवीं घा की दर से रुपये-

4,70,000.00

2- कूआँ, एसीपाईप, डोला, पेड़, झौपडी आदि

का तकमीना राजस्थान के अनुसार रु. - 25,723.57

4,95,723.57

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 1,48,717.07

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

क्रमश:-10--



9- वाद संख्या: 1/021001:-

- 1- कुल भूमि रकबा 26वींघा 05विस्वा का मुआवजा रुपये-
20,000/-प्रतिवींघा की दर से रुपये-
2- कूआँ, डोला, पेड़, छुमटी आदि का तकमीना
राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रु - 45,317.35

5,70,317.35

- 3- 30% सोलेक्षियम की राशि रुपये- 1,71,095.20

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

10- वाद संख्या:- 1/021011:-

- 1- कुल भूमि रकबा 22वींघा 07विस्वा का मुआवजा रुपये-
20,000/-प्रतिवींघा की दर से रुपये- 4,47,000.00
2- कूएँ, डोल, पेड़, झोपडी आदि का तकमीना
राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रु. 41,184.05

4,88,184.05

- 3- 30% सोलेक्षियम की राशि रुपये- 1,46,455.21

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

11-
जिलाधिकारी
आवासन विभाग
जयपुर

वाद संख्या:- 1/021021:-

- 1- कुल भूमि 11वींघा 10विस्वा का मुआवजा रुपये-
19,000/-प्रतिवींघा की दर से रुपये- 2,18,500.00
2- डोले व पेड़ आदि का तकमीना राजस्थान
आवासन मण्डल के अनुसार रुपये- 718.75

2,19,218.75

---:11:---



3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 65,765.62
 उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

12- वाद संख्या:- 1/021031:-

1- कुल भूमि 11वीं घा का मुआवजा रुपये-19,000/-
 प्रतिघा की दर से रुपये- 2,09,000.00
 2- पेड़, डोले आदि का तकमीना राजस्थान
 आवासन मण्डल के अनुसार रुपये- 1,981.17

 2,10,981.17

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 63,294.35

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

13- वाद संख्या:- 1/021061:-

1- कुल भूमि रकबा 20वीं घा 10विस्वा का मुआवजा रुपये-
 20,000/-प्रतिघा की दर से रुपये- 4,10,000.00
 2- कूँ, डोला, झोपडी, धोरा पेड़, आदि का
 तकमीना राज0आ0मण्डल के अनुसार रु. 33,200.00

 4,43,200.00

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 1,32,960.18

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

14- वाद संख्या:- 1/021071:-

1- कुल भूमि रकबा 20वीं घा 13विस्वा का मुआवजा
 रुपये-20,000/-प्रतिघा की दर से रुपये- 4,13,000.00
 2- डोला, कुआँ, टैंक, पेड़, झोपडी आदि का
 मुआवजा राजस्थान आवासन मण्डल के
 अनुसार रुपये- 35,665.90



3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 1,34,599.77

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

15- वाद संख्या:- 1/021001:-

- 1- कुल भूमि रकबा 21वीं छा07 विस्वा का मुआवजा रुपये-
20,000/-प्रतिवीछा की दर से रुपये- 4,27,000.00
- 2- कूरें, पेड़, झौपड़ी आदि का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रुपये-

44,639.88

4,71,639.88

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 1,41,491.96.

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

16- वाद संख्या:- 1/021091 :-

- 1- कुल भूमि रकबा 22वीं छा01 विस्वा का मुआवजा रुपये-
20,000/-प्रतिवीछा की दर से रुपये- 4,41,000.00
- 2- कूरें, डोले, पेड़, झौपड़ी, रस्तीपाईय आदि का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रुपये-

38,023.90

4,79,023.90

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 1,43,707.17

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

18- वाद संख्या:- 1/021931:-

- 1- कुल भूमि रकबा 10वीं छा010 विस्वा का मुआवजा रुपये-
20,000/-प्रतिवीछा की दर से रुपये-- 3,70,000.00

क्र.सं:-13--

विस्तार
राजस्थान विभाग
जयपुर

---:13:---

- 2- कुआँ, पेड़, डोले आदि का तकमीना
आवासन मण्डल के अनुसार रुपये-



4,03,153.37

- 3- 30% सोलेक्षियम की राशि रुपये- 1,20,946.01

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी
गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

- 19- वाद संख्या:- 1/821941:-

- 1- कुल भूमि रकबा 21वीं घा 10 बिस्वा का मुआवजा
रुपये-20,000/-प्रतिवीं घा की दर से रुपये- 4,30,000.00

- 2- कुएँ, डोला, एसीपाईप, निर्माण आदि का
तकमीना रा0आ0मण्डल के अनुसार रु0- 39,506.49

4,69,506.49

- 3- 30% सोलेक्षियम की राशि रुपये- 1,40,051.94

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी
गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

- 20- वाद संख्या:- 1/821971:-

- 1- कुल भूमि रकबा 12वीं घा 05 बिस्वा का मुआवजा रुपये
20,000/-प्रतिवीं घा की दर से रुपये- 2,45,000.00

- 2- कुआँ, डोला, पेड़, झोपड़ी आदि का तकमीना
राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रुपये- 31,033.47

2,76,033.47

- 3- 30% सोलेक्षियम की राशि रुपये- 82,810.04

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना
राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

---:14:---



21- वाद संख्या:-1/021991:-

1- कुल भूमि 0वीं घा 00 बिस्वा का मुआवजा रूपये-
20,000/-प्रतिघा की दर से रूपये- 1,60,000.00

2- डोला, कूआँ, पेड़, झोपड़ी आदि का मुआवजा
राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रूपये- 22,159.00

1,90,159.00

3- 30% सोलेशियम की राशि रूपये- 57,047.70

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना
राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

22- वाद संख्या:-1/0211021:-

1- कुल भूमि रकबा 16वीं घा का मुआवजा रूपये-
20,000/-प्रतिघा की दर से रूपये- 3,20,000.00

2- कूआ, पेड़, डोला, टैंक, एसीपाईप आदि का
तकमीना रा0आ0मण्डल के अनुसार रूपये- 35,406.00

3,55,406.00

3- 30% सोलेशियम की राशि रूपये- 1,06,645.00

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना
राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

23- वाद संख्या:-1/02111111-131:-

अ-1- कुल भूमि रकबा 15वीं घा 10 बिस्वा का मुआवजा रूपये-
20,000/-प्रतिघा की दर से रूपये- 3,10,000.00

ब- कुल भूमि रकबा 20वीं घा 05 बिस्वा का मुआवजा रूपये-
20,000/-प्रतिघा की दर से रूपये- 4,04,000.00

सि- कुल भूमि रकबा 20वीं घा 05 बिस्वा का मुआवजा रूपये-
20,000/- प्रतिघा की दर से रूपये- 4,05,000.00

कुल:-15-

सूरी
आवासन विभाग
जयपुर



राजस्थान आवासन एवं नगरीय विकास विभाग द्वारा उपरोक्त भूमि पर स्थित भूगडिआ, ठूआ, टैंक, रोड आदि का सम्मिलित तकमीना समी-56, 423.90 की प्रस्तुत किया है, जो खातेदारों को उनके अपने अपने हिस्से के अनुसार देय होगा, तथा भूमि की कीमत व हिस्सेदार तकमीना जोड़कर 30% सोलेक्शिया राशि व हवाज आदि का नियमानुसार देय होंगे जिनकी गणना राजस्थान आवासन भण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

उपरोक्त अर्दाई राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ग्रुप-3 विभाग के पत्र क्रमांक: 071721 नविआ/3/01 दिनांक 31-12-00 के द्वारा अनुमोदित किया जाकर राज्य सरकार द्वारा पुष्टि कर दी गई है। अतः आज दिनांक 2-1-89 को भूमि के मुआवजे का अर्दाई उपरोक्तानुसार घोषित किया गया है। राजस्थान, जयपुर

अर्दाई सरे इजलास घोषित किया गया एवं मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर के साथ जारी किया गया।

(Signature)

विशेषाधिकारी,

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:--

- 1- श्रीमान् शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज०, जयपुर।
- 2- सचिव, राजस्थान आवासन भण्डल, जयपुर।
- 3- तहसीलदार -----
- 4- सम्बन्धित खातेदार श्री

विशेषाधिकारी

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
राजस्थान, जयपुर

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,

राजस्थान, जयपुर।